संख्या-65/2023/1146/12-5-2023/सा०-01/2019

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ::दिनांक 29 सितम्बर, 2023

विषय:-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रदेश के समस्त पात्र कृषकों को योजना का लाभ दिलाने हेतु ई-केवाईसी कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युकत विषयक शासनादेश संख्या-57/2023/1036/12-5-2023/सा0-01/2019, दिनांक 25 अगस्त, 2023 एवं कृषि निदेशालय के पत्रांक-भू0सं0शि0-144 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं क़िस्त निर्गत करने से पूर्व सभी पात्र कृषकों के भूलेख अंकन एवं बैंक खाते की आधार सीडिंग के साथ-साथ ई-केवाईसी कराये जाने हेतु विस्तृत निर्देश प्रषित किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गई है कि लैंड सीडिंग से आच्छादित पात्र कृषकों के ई-केवाईसी एवं उनके बैंक खाते का आधार सीडिंग का कार्य 15 अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाए, जिससे अधिक से अधिक कृषकों को योजना से लाभान्वित किया जा सके। उक्त के अलोक में 15 अक्टूबर, 2023 तक आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी कराने के लिये सघन अभियान चलाया जायेगा।

Installment Readiness Status Report में Numbers of Eligible Farmers Seeded with Land Details से तहसीलवार सूची डाउनलोड कर पेंडिंग ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग की सूची के आधार पर न्याय पंचायत व राजस्व ग्रामवार कार्मिक को इस प्रकार से नामित किया जाएगा कि सभी कार्मिकों को यथा सम्भव बराबर लक्ष्य आवंटित हो। नामित कार्मिक पेंडिंग ई-केवाईसी की सूची के साथ डोर-टू-डोर कृषकों से सम्पर्क कर ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग के कार्य को पूर्ण कराएँगे। ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी एवं किसान पाठशालाओं में भी ई-केवाईसी का अभियान संचालित कराया जाए। इस अभियान के संचालन हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं :-

1. जनपदीय उप कृषि निदेशक अपने जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक एवं जन सेवा केन्द्र के समन्वयक के साथ एक बैठक आयोजित कर सघन अभियान की माईक्रो प्लानिंग करायेगें।
2. जनपद स्तर पर पीएम-किसान ई-केवाईसी संतृप्तीकरण अभियान के अनुश्रवण हेतु मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, जो प्रतिदिन राजस्व ग्रामवार नामित कार्मिकों के द्वारा एवं जन सूचना केंद्र के माध्यम से कराये गए ई-केवाईसी की प्रगति के साथ-साथ पेंडिंग लैंड सीडेड बैंक आधार अकाउंट के लिंकिंग की भी समीक्षा करेंगे।
3. जनपदीय उप कृषि निदेशक राजस्व ग्राम हेतु कृषि एवं अन्य विभागों के क्षेत्रीय कार्मिकों को बैंक खाते की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी पूर्ण कराने के लिये मुख्य विकास अधिकारी से नामित कराएँगे एवं सभी कर्मिकों का मोबाइल पर ई-केवाईसी कराने हेतु एप्प डाउनलोड कराकर एक्टिवेट करायेगें तथा प्रतिदिन प्रत्येक कार्मिक से एप्प के माध्यम से फेसियल ई-केवाईसी की प्रगति संलग्न प्रारूप पर प्रतिदिन संकलित की जाएगी एवं मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप पर गूगल शीट के माध्यम से प्रतिदिन सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. उप कृषि निदेशक अपने लागिन से Installment Readiness Status Report में Numbers of Eligible Farmers Seeded with Land Details कृषकों के सापेक्ष बैंक खाते की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी पेण्डिंग कृषकों की ग्रामवार सूची प्रिन्ट कराकर जनपद के इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक एवं जन सेवा केन्द्र के समन्वयक एवं सम्बन्धित ग्राम हेतु नामित क्षेत्रीय कार्मिकों को उपलब्ध करायेगें।
5. जो लाभार्थी गाँव में निवास नहीं कर रहे हैं अथवा जिनके मृत होने की सूचना प्राप्त होती है। उसके संबंध में प्राप्त सूची में तद्नुसार उल्लिखित करते हुये उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करायेगें, जिसका प्रतिपरीक्षण उप कृषि निदेशक अपने स्तर से कराते हुये मुख्यालय को संलग्न प्रारूप पर अवगत करायेगे।
6. जनपद स्तर, तहसील स्तर एवं विकासखण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार पर स्थापित पीएम-किसान सेवा केन्द्र/हेल्प डेस्क यथावत क्रियाशील रहेगें। समस्त स्तर के हेल्प डेस्क पर फेसियल ई-केवाईसी कराने हेतु कृषि विभाग के कार्मिकों को मोबाइल एप्प डाउनलोड कराकर प्रशिक्षित करा दिया जाए।
7. कृषि विभाग के विकास खण्ड स्तरीय राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर भी जन सेवा केन्द्रों एवं इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक के प्रतिनिधि ई-केवाईसी कराने तथा खाता खोलने की सुविधा के साथ उपस्थित रहेगें।
8. जिन किसानो का भूलेख अंकन नही हुआ है, उनकी सूची एवं खसरा खतौनी की प्रति को तहसील को प्रेषित करते हुये भूलेख अंकन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा, जिसका दैनिक अनुश्रवण संबंधित तहसीलदार/उप ज़िलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
9. इस आशय का संदेश कि **"पीएम किसान की 15वीं किश्त हेतु भूलेख अंकन, ई-केवाईसी पूर्ण एवं बैंक खाते की आधार सीडिंग किया जाना अनिवार्य है। ई-केवाईसी न कराने की स्थिति में आगामी किश्तों को भुगतान नही किया जायेगा",** का प्रचार प्रसार यथा- प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
10. अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होने वाली ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी एवं किसान पाठशालाओं में भी निर्धारित तिथियों पर जन सुविधा केंद्र एवं पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि को सूचित करते हुए उनका सक्रिय योगदान लिया जायेगा। ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी एवं किसान पाठशालाओं के योजना के दो दिन पहले ग्राम पंचायत में डुग्गी पिटवाकर/लाउडस्पीकर के माध्यम से पीएम-किसान ई-केवाईसी संतृप्तीकरण अभियान का प्रचार प्रसार भी कराया जाए।

उपरोक्त दिशा निर्देशों का परिपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित कराएँ, दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक ग्रामवार कार्मिकों की तैनाती एवं उन्हें सूची के साथ की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रशिक्षित कर दिया जाये। मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक अभियान के संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे। चूँकि पीएम-किसान में ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग हेतु मात्र 2 सप्ताह का सघन अभियान चलाया जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि समस्त जिलाधिकारी प्रतिदिन पीएम किसान में ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग की प्रगति समीक्षा करेंगे। कृषि निदेशालय/शासन स्तर से भी नियमित रूप से प्रगति समीक्षा की जाएगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
डॉ० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
2. स्टेट हेड, आईपीपीबी, पोस्ट ऑफिस, उत्तर प्रदेश।
3. स्टेट हेड, जन सुविधा केंद्र, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
डॉ० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पीएम किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत पात्र भुलेख अंकित सूची में सत्यापन के उपरान्त ग्रामवार मृतक/अनट्रेसबिल कृषकों की सूची का प्रारूप

क्रम संख्या	कृषक पंजीकरण संख्या (UP ID)	तहसील का नाम	विकास खंड	ग्राम	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नंबर	मृतक/अनट्रेसबिल
1		2	3	4	5	6	7	13

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत ई-के0वाई0सी0 से सम्बन्धित रिपोर्ट का प्रारूप

क्रम संख्या	विकास खंड	न्याय पंचायत	ग्राम	कार्मिक का नाम	पद नाम	मोबाइल नंबर	लक्ष्य (आवंटित ग्रामों में अवशेष ई-केवाईसी के संख्या)	आज की प्रगति	क्रमिक प्रगति	अवशेष	प्रतिशत	मृतक/अपात्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत आधार सीडिंग से सम्बन्धित रिपोर्ट का प्रारूप

क्रम संख्या	विकास खंड	न्याय पंचायत	ग्राम	कार्मिक का नाम	पद नाम	मोबाइल नंबर	लक्ष्य (आवंटित ग्रामों में अवशेष ई-केवाईसी के संख्या)	आज की प्रगति	क्रमिक प्रगति	अवशेष	प्रतिशत	मृतक/अपात्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।